न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला–चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉं, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 15/2019 प्रार्थना पत्र
GCMS No. : 2019/00049

दर्ज तिथि : 25.01.2019

1. श्रीमती निहाल कुंवर धर्मपत्नि दलपतसिंह उर्फ दुल्हेसिंह पिता मानसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
2. सुश्री हीना कुंवर पिता दलपतसिंह उर्फ दुल्हेसिंह राजपूत आयु अवयस्क जरिये वली सरपरस्त माता श्रीमती निहाल कुंवर धर्मपत्नि दलपतसिंह उर्फ दुल्हेसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
3. श्री कानसिंह पिता दलपतसिंह उर्फ दुल्हेसिंह राजपूत आयु अवयस्क जरिये वली सरपरस्त माता श्रीमती निहाल कुंवर धर्मपत्नि दलपतसिंह उर्फ दुल्हेसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।
4. श्री सुरेन्द्रसिंह पिता दलपतसिंह उर्फ दुल्हेसिंह राजपूत आयु अवयस्क जरिये वली सरपरस्त माता श्रीमती निहाल कुंवर धर्मपत्नि दलपतसिंह उर्फ दुल्हेसिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।

..............प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेडा, तहसील, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।
2. वण्डर सीमेन्ट निम्बाहेड़ा जरिये प्रबंधक वण्डर सीमेन्ट निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री नटवरलाल पिता नन्दलाल जाति डांगी आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री भोपालसिंह मुतबन्ना जयसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्री चरणसिंह पिता छोटुसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्री विजयसिंह पिता छोटुसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
7. पुजा कुंवर पिता छोटुसिंह जाति राजपूत आयु अवयस्क जरिये वली सरपरस्त माता शैतानकुंवर पत्नि छोटुसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
8. श्रीमती शैतानकुंवर पत्नि छोटुसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
9. मु. पप्पु कुंवर पिता मानसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
10. श्रीमती मानकुंवर पत्नि मानसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
11. श्री किशोरसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

12. श्री सुरेन्द्रसिंह पिता वक्तावरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
13. श्री फतेहसिंह पिता वक्तावरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
14. रवीन्द्र कुंवर पिता वक्तावरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
15. सुगनकुंवर पत्नि वक्तावरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
16. श्री शम्भुसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
17. श्री गोरधनसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
18. सुरजकुंवर पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
19. श्रीमती दुर्गादेवी पत्नि अरविन्द कुमार ब्राहमण आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
20. श्री नटवरलाल पिता नन्दलाल जाति डांगी आयु वयस्क निवासी फलवा तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।

..............विपक्षीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ता:—श्री ऋषभकुमार सेठिया
अप्रार्थीगण नं. 1 अधिवक्ता :—पैरोकार सरकार स्वयं

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956

—:निर्णय:—

निर्णय तिथि : 02.08.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि दलपतसिंह उर्फ दुल्हेसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत निवासी फलवा के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात ग्राम फलवा तहसील, निम्बाहेडा में स्थित है जो कि उनको उनके पिता से विरासत में मिली थी। यह कि दलपतसिंह उर्फ दुल्हेसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत निवासी फलवा का देहान्त दिनांक 29.12.2005 को हो गया, जिसका पंजीयन ग्राम पंचायत फलवा में दिनांक 03.01.2006 को हुआ। ग्राम पंचायत फलवा ने मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 27.05.2006 को जारी किया जिसकी छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ पेश की है। यह कि दलपतसिंह उर्फ दुल्हेसिंह के पिता मानसिंह जी की मृत्यु के पश्चात् मानसिंह की मृत्यु का इन्तकाल उनके एक मात्र पुत्र के नाम खुला जिसमें साबिक आराजी नम्बर 502 रकबा 11 बिस्वा [illegible] जिसमें प्रार्थीगण का 7/72 का 1/2 भाग दर्ज रेकार्ड जिसके हाल आराजी नम्बर 609 रकबा 0.14 हैक्टेयर मे दलपतसिंह के बजाय दुल्हेसिंह इन्द्राज हो गया तथा साबिक आराजी नम्बर 500 किता 1 बीघा 4 बिस्वा हाल आराजी [illegible] हैक्टेयर मौजा फलवा में भी दलपतसिंह के बजाय शम्भुसिंह [illegible] दर्ज हो गया इसी प्रकार साबिक आराजी नम्बर 575 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा में भी मानसिंह की मृत्यु के बाद विरासत से दलपतसिंह के नाम दर्ज हुई परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से दुल्हेसिंह दर्ज हो गया। जबकि सरकारी रिकार्ड में ग्राम पंचायत फलवा द्वारा दिनांक 27.05.2006 द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रार्थी नं. 2 के आधार कार्ड नम्बर 683693473484 में पिता नाम, प्रार्थी संख्या 1 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:32 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला: चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बचत खाते में पति का नाम एवं प्रार्थी संख्या 1 के भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र संख्या RJ/19/125/087266 में पति का नाम दलपतसिंह दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार प्रार्थीगण नम्बर 1 से 4 के पति व पिता का वास्तविक रिकार्डेड नाम दलपतसिंह है जबकि कृषि भूमि में नाम दुल्हेसिंह एवं शम्भुसिंह दर्ज हो गया। प्रार्थीगणों ने प्रार्थना पत्र के अन्त में ग्राम फलवा में स्थित प्रार्थीगणों की कृषि आराजियात में प्रार्थी नं. 1 के पति एवं प्रार्थी नम्बर 2 से 4 के पिता का नाम दलपतसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थी संख्या 1 के पति एवं प्रार्थी संख्या 2 से 4 के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुल्हेसिंह एवं शम्भुसिंह के बजाय दलपतसिंह दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। विपक्षी संख्या 2 से 20 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार, निम्बाहेडा ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम फलवा के जमाबंदी की खाता संख्या 167, 81, 77 व 273 पर वादीगण निहालकुंवर वगैरा के पति व पिता का नाम दुल्हेसिंह व शम्भुसिंह के दर्ज है। ग्राम पंचायत व मौतबिरान से जांच में प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम दलपतसिंह पिता मानसिंह होना जाहिर आया है। दुल्हेसिंह व शम्भुसिंह पिता मानसिंह के नाम का भी दूसरा कोई व्यक्ति इस ग्राम में निवास नहीं करता है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम दलपतसिंह दर्ज किया जाना उचित होगा।

3. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors.*** *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties*

4. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों [illegible] विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को [illegible] करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

5. मैंने पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:32 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

मनन किया गया। ग्राम फलवा की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 167 में दर्ज आराजी नम्बर 609 रकबा 0.14 हैक्टेयर में प्रार्थी नम्बर 2 से 4 के पिता का नाम दुल्हेसिंह, खाता संख्या 81 में दर्ज आराजी नम्बर 611 रकबा 0.30 हैक्टेयर में प्रार्थी नं. 1 के पति एवं प्रार्थी नम्बर 2 से 4 के पिता का नाम शम्भुसिंह, खाता संख्या 77 में दर्ज आराजी नम्बर 711 रकबा 0.76 हैक्टेयर में प्रार्थी नं. 1 के पति एवं प्रार्थी नम्बर 2 से 4 के पिता का नाम दुलेसिंह तथा खाता संख्या 273 में दर्ज आराजी नम्बर 585 में प्रार्थी नं. 1 के पति एवं प्रार्थी नम्बर 2 से 4 के पिता का नाम दुल्हेसिंह दर्ज रिकार्ड है। जबकि ग्राम पंचायत, फलवा द्वारा दिनांक 27.05.2006 को जारी प्रार्थीगण के पति एवं पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति में नाम दलपतसिंह पिता मानसिंह दर्ज है। बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक पासबुक की फोटोप्रति में प्रार्थी नं. 1 के पति का नाम दलपतसिंह दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी नं. 2 सुश्री हीना कुंवर के आधार कार्ड नम्बर 683693473484 की फोटोप्रति में उनके पिता का नाम दलपतसिंह दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी नं. 1 निहालकुंवर के मतदाता पहचान पत्र क्रमांक आर.जे./19/125/087266 की फोटोप्रति में उनके पति का नाम दलपतसिंह दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण के पति एवं पिता के मतदाता पहचान पत्र क्रमांक आर.जे./19/125/087099 की फोटोप्रति में उनका नाम दलपत पिता मानसिंह दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी नं. 1 के आधार कार्ड नम्बर 955717530240 की फोटोप्रति में उनके पति का नाम दलपतसिंह दर्ज रेकार्ड है। साथ ही तहसीलदार, निम्बाहेडा ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण के पति एवं पिता का नाम दुलेसिंह एवं शम्भुसिंह के बजाय दलपतसिंह दर्ज किया जाना उचित बताया है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम, फलवा पटवार मण्डल, फलवा की आराजी नम्बर 609 रकबा 0.14 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 611 रकबा 0.30 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 711 रकबा 0.76 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 585 रकबा 0.72 हैक्टेयर में प्रार्थी नम्बर 1 श्रीमती निहालकुंवर के पति तथा प्रार्थी नं. 2 से 4 सुश्री हिनाकुवर, कानसिंह एवं सुरेन्द्रसिंह के पिता का नाम दुल्हेसिंह, दुलेसिंह एवं शम्भुसिंह के बजाय दलपतसिंह दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। साथ ही आराजी नम्बर 611, 711 एवं 585 में प्रार्थी नंबर 1 का नाम नियालकुंवर के बजाय निहालकुंवर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, निम्बाहेडा को आदेश की पालना करने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:32 IST
Reason: SelfAttested

2/8/23
(रमेश सीरवी पुनाड़ियां)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः– 46/2020 वाद
जीसीएमएस नम्बरः– 2020/00196

चेनराम पिता नारायण जी डांगी जाति डांगी उम्र 27 साल निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– वादी

//बनाम//

1. पृथ्वीराज पिता भगवान जी डांगी जाति डांगी उम्र 50 साल निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा ।

–प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः– श्री लक्ष्मण सिंह सोलंकी, अधिवक्ता वादी

::निर्णय:: दिनांकः–07.08.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा सांगरिया हल्का पटवार हल्का बडौली माधोसिंह तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 69 के खसरा संख्या 18 रकबा 0.23 हेक्टेयर लगानी 4.37 रुपये, खसरा संख्या 367 रकबा 0.27 हेक्टेयर लगानी 11.34 रुपये, खसरा संख्या 402 रकबा 0.29 हेक्टेयर लगानी 5.51 रुपये व खसरा संख्या 577 रकबा 0.24 हेक्टेयर लगानी 4.56 रुपये कुल किता–4 कुल रकबा 1.03 हेक्टेयर कुल लगानी 25.78 रुपये होकर स्थित है। जिसमें मुझ वादी का 1/2 हक हिस्सा है।

2. यह कि मौके पर हमारा अलग अलग कब्जा है और कब्जे अनुसार 1/2 हक हिस्से में काबिज होकर मैं वादी शान्तिपूर्ण तरिके से काश्त करता चला आ रहा हूं। मौके पर हमारे खेतों की ना तो निशानदेही कर रखी है और ना बाउण्ड्रीवाल बना रखी है और ना ही राजस्व रेकार्ड में अलग अलग बटवाड़ा कर रखा है। मेरे हक हिस्से का भाग राजस्व रेकार्ड में अलग दर्ज कर अलग लगानी कायम कर विधिवत [illegible] किया जाकर खाते की अलग अलग फण्टावणी की जावे। मौके पर आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा होता रहा है इसलिये मेरे हक हिस्से में प्रतिवादी क्रमांक 1 को दखल [illegible]जी ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावें इसलिये स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] जावें। यह कि दिनांक 17/06/2020 को प्रतिवादी कमांक 1 मौके पर आया [illegible] लडाई झगडा करने पर उतारु हो गया जिससे वाद कारण उत्पन्न होने से श्रीमान् के समक्ष वाद पेश किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, बावजुद बाद तामिल वकील मय प्रतिवादी नम्बर 1 अनुपस्थित, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान किया गया।

4. प्रकरण में साक्ष्य एवं बहस के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर दिनांक 24.05.2023 को वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1500/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये गये कि वाके मौजा सांगरिया हल्का पटवार हल्का बड़ौली माधोसिंह तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 69 के खसरा संख्या 18 रकबा 0.23 हेक्टेयर लगानी 4.37 रुपये, खसरा संख्या 367 रकबा 0.27 हेक्टेयर लगानी 11.34 रुपये, खसरा संख्या 402 रकबा 0.29 हेक्टेयर लगानी 5.51 रुपये व खसरा संख्या 577 रकवा 0.24 हेक्टेयर लगानी 4.56 रुपये कुल किता– 4 कुल रकबा 1.03 हेक्टेयर कुल लगानी 25.78 रुपये होकर स्थित है। जिसमें वादी का 1/2 हक हिस्सा है। वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार व मौके पर काबिज अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/2 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार बंटवारा कर अलग किया जावें । तहसीलदार निम्बाहेडा प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में बटवारा प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में तैयार किया जाकर न्यायालय हाजा में पेश करें। राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की पूर्णतः पालना की जावें। पहुंच मार्ग सुनिश्चित करते हुए फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करें। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2023/990 दिनांक 13.07.2023 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा सांगरिया पटवार हल्का बड़ौलीमाधोंसिंह का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:–

1.– श्री चैनराम दत्तक पुत्र नारायण जाति डांगी सा0 देह खातेदार।

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
18	0.23	4.37
402	0.29	5.51
किता–2	कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर	9.88 रूपये

2.– श्री पृथ्वीराज पुत्र भगवानलाल जाति डांगी सा0 देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टैयर)	लगान (रूपये)
367	0.27	11.34
577	0.24	4.56
किता–2	कुल रकबा 0.51 हैक्टैयर	15.90 रूपये

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:32 IST
Reason: SelfAttested

7/8/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः– 46/2020 वाद
जीसीएमएस नम्बरः– 2020/00196

चेनराम पिता नारायण जी डांगी जाति डांगी उम्र 27 साल निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– वादी

//बनाम//

3. पृथ्वीराज पिता भगवान जी डांगी जाति डांगी उम्र 50 साल निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा ।

–प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली आज वादी की और से अधिवक्ता श्री लक्ष्मणसिंह सोंलकी की उपस्थित में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत हुई। प्रकरण में दिनांक 24.05.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसमें तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1500/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये गये कि वाके मौजा सांगरिया हल्का पटवार हल्का बड़ौली माधोसिंह तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 69 के खसरा संख्या 18 रकबा 0.23 हेक्टेयर लगानी 4.37 रुपये, खसरा संख्या 367 रकबा 0.27 हेक्टेयर लगानी 11.34 रुपये, खसरा संख्या 402 रकबा 0.29 हेक्टेयर लगानी 5.51 रुपये व खसरा संख्या 577 रकबा 0.24 हेक्टेयर लगानी 4.56 रुपये कुल किता– 4 कुल रकबा 1.03 हेक्टेयर कुल लगानी 25.78 रुपये होकर स्थित है। जिसमें वादी का 1/2 हक हिस्सा है। वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार व मौके पर काबिज अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जावे तथा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/2 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार बंटवारा कर अलग किया जावें । तहसीलदार निम्बाहेडा प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में बटवारा प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में तैयार किया जाकर न्यायालय हाजा में पेश करें। राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की [illegible]लना की जावे। पहुंच मार्ग सुनिश्चित करते हुए फर्द वि[illegible] प्रस्तुत [illegible]। तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2023/990 दिनांक [illegible].07.2023 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्रस्तुत [illegible] तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त फर्द विभाजन प्रस्ताव माफिक आदेशानुसार होने से स्वीकार योग्य है। फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा सांगरिया पटवार हल्का बड़ौलीमाधोंसिंह का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:–

1.– श्री चैनराम दत्तक पुत्र नारायण जाति डांगी सा0 देह खातेदार।

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	लगान (रूपये)
18	0.23	4.37
402	0.29	5.51
किता–2	कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर	9.88 रूपये

2.– श्री पृथ्वीराज पुत्र भगवानलाल जाति डांगी सा0 देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़।

आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टैयर)	लगान (रूपये)
367	0.27	11.34
577	0.24	4.56
किता–2	कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर	15.90 रूपये

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आज तारीख 07.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

7/8/23

(रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:32 IST
Reason: SelfAttested